संख्या-19/2021/610जेएल/22-3-2021-100(4)/2021

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 07 जून, 2021*

विषय- केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध विचाराधीन बंदीगण (1)-अभिमन्यु यादव उर्फ मोनू पुत्र श्री विश्राम यादव एवं (2)-विकास खरवार पुत्र स्व0 दयानन्द खरवार को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-9318/सामा-1(7)/वाराणसी/2021, दिनांक 26-03-2021 में की गयी संस्तुति के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध निम्नलिखित 02 विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	विचाराधीन बंदी का नाम एवं पिता का नाम	निरूद्धि की कारागार	स्थानान्तरण हेतु प्रस्तावित कारागार
1	2	3	4
1	अभिमन्यु यादव उर्फ मोनू पुत्र श्री विश्राम यादव	केन्द्रीय कारागार वाराणसी	केन्द्रीय कारागार आगरा
2	विकास खरवार पुत्र स्व0 दयानन्द खरवार	केन्द्रीय कारागार वाराणसी	जिला कारागार गौतमबुद्धनगर

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-19/2021/610जेएल(1)/22-3-2021-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3- पुलिस आयुक्त, गौतमबुद्धनगर एवं वाराणसी।
4- जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी, आगरा एवं गौतमबुद्धनगर ।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आगरा ।
6- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार वाराणसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को केन्द्रीय कारागार वाराणसी से सम्बन्धित कारागारों में स्थानान्तरित/दाखिल किये जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
7- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार आगरा।
8- अधीक्षक, जिला कारागार गौतमबुद्धनगर।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in